



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072023-247627  
CG-DL-E-26072023-247627

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433]  
No. 433]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

संख्या 09/2023 -केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 547(अ).— केन्द्र सरकार, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -  
उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I- 2.5% में,

- (i) क्रम संख्या 99क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"99ख	1905	एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके सैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों";

- (ii) क्रम संख्या 108 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"108क	2309	फिश सोल्युबल पेस्ट";

- (iii) क्रम संख्या 156क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"156ख	2619	लिंग-डोनाविट्ज़ (एलडी) स्लैग";

- (iv) क्रम संख्या 218क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"218कक	56050020	इमिटेसन ज़री धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है";

ख. अनुसूची II-6% में, क्र. सं. 137 के कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "(i) असली ज़री धागा (सोना) और चांदी का धागा कपड़ा धागे के साथ संयुक्त (ii) नकली ज़री धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है के अलावा, धातुयुक्त धागा, चाहे गिम्पड हो या नहीं, कपड़े का धागा, या पट्टी या शीर्ष 5404 या 5405 के समान, धागे, पट्टी या पाउडर के रूप में धातु के साथ संयुक्त या धातु से ढका हुआ" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ग. अनुसूची III - 9% में,

- (i) क्रम संख्या 16 के समक्ष कॉलम (3) में, शब्दों "टोस्टेड रोटी और इसी तरह के उत्पादों" के स्थान पर, "टोस्टेड ब्रेड और इसी तरह के उत्पादों, एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके सैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 28 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "लिंग-डोनाविट्ज़ (एलडी) स्लैग के अलावा, लोहे या स्टील के विनिर्माण की प्रक्रिया में निर्मित स्लैग डॉस (दानेदार स्लैग के अलावा), स्केलिंग और अन्य अपशिष्ट स्लैग" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/133/2023-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

**टिप्पण:** प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023 जिसे सा.का.नि. 147 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2023

**No. 09/2023- Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 547(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely: -

In the said notification, -

A. in Schedule I—2.5%,

(i) after S. No. 99A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"99B.	1905	Un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion";

(ii) after S. No. 108 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"108A.	2309	Fish soluble paste";

(iii) after S. No. 156A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"156B.	2619	Linz-Donawitz (LD) Slag ";

(iv) after serial number 218A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"218AA.	56050020	Imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance";

B. in Schedule II—6%, against S. No. 137, for the entry in column (3), the entry “Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal, other than- (i) real zari thread (gold) and silver thread combined with textile thread (ii) imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance” shall be substituted;

C. in Schedule III-9%,

- (i) against S. No. 16, in column (3), for the words “toasted bread and similar toasted products”, the words “toasted bread and similar toasted products, un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion” shall be substituted;
- (ii) against S. No. 28, for the entry in column (3), the entry “Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel, other than Linz-Donawitz (LD) slag” shall be substituted;

2. This notification shall come into force on 27<sup>th</sup> July, 2023.

[F. No. 190354/133/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

**Note:** -The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28<sup>th</sup> day of June, 2017 and was last amended by notification No. 03/2023 –Central Tax (Rate) dated the 28<sup>th</sup> February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 147(E), dated the 28<sup>th</sup> February, 2023.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

संख्या 09/2023-एकीकृत कर (दर)

**सा.का.नि. 548(अ).**— एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा

(1) और और केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I- 5% में,

- (i) क्रम संख्या 99क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
“99ख	1905	एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके सैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों”;

- (ii) क्रम संख्या 108 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
“108क	2309	फिश सोल्युबल पेस्ट”;

- (iii) क्रम संख्या 156क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"156ख	2619	लिंज़-डोनाविट्ज़ (एलडी) स्लैग";

- (iv) क्रम संख्या क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 218 पित किया जाएगास्था:अंत, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"218कक	56050020	इमिटेशन ज़री धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है";

ख. अनुसूची II-12% में, क्र. सं. 137 के कॉलम 3) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "(i) असली ज़री धागा (सोना) और चांदी का धागा कपड़ा धागे के साथ संयुक्त (ii) नकली ज़री धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है के अलावा, धातुयुक्त धागा, चाहे गिम्पड हो या नहीं, कपड़े का धागा, या पट्टी या शीर्ष 5404 या 5405 के समान, धागे, पट्टी या पाउडर के रूप में धातु के साथ संयुक्त या धातु से ढका हुआ" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ग. अनुसूची III - 18% में,

- (i) (i) क्रम संख्या 16 के समक्ष कॉलम (3) में, शब्दों "टोस्टेड रोटी और इसी तरह के उत्पादों" के स्थान पर, "टोस्टेड ब्रेड और इसी तरह के उत्पादों, एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके सैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) (ii) क्रम संख्या 28 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "लिंज़-डोनाविट्ज़ (एलडी) स्लैग के अलावा, लोहे या स्टील के विनिर्माण की प्रक्रिया में निर्मित स्लैग डॉस (दानेदार स्लैग के अलावा), स्केलिंग और अन्य अपशिष्ट स्लैग" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/133/2023- टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

**टिप्पण:** प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2023- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, जिसे सा.का.नि. 148(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2023

**No. 09/2023-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 548(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

A. in Schedule I—5%,

- (i) after S. No. 99A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"99B.	1905	Un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion";

- (ii) after S. No. 108 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"108A.	2309	Fish soluble paste";

- (iii) after S. No. 156A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"156B.	2619	Linz-Donawitz (LD) Slag ";

- (iv) after serial number 218A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"218AA.	56050020	Imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance";

- B. in Schedule II—12%, against S. No. 137, for the entry in column (3), the entry “Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal, other than- (i) real zari thread (gold) and silver thread combined with textile thread (ii) imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance” shall be substituted;

C. in Schedule III—18%,

- (i) against S. No. 16, in column (3), for the words “toasted bread and similar toasted products”, the words “toasted bread and similar toasted products, un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion” shall be substituted;
- (ii) against S. No. 28, for the entry in column (3), the entry “Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel, other than Linz-Donawitz (LD) slag” shall be substituted;

2. This notification shall come into force on 27<sup>th</sup> July, 2023.

[F. No. 190354/133/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

**Note:** -The principal notification No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, and was last amended vide notification No. 03/2023 – Integrated Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> February, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 148(E), dated the 28<sup>th</sup> February, 2023.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

## संख्या 09/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 549(अ).— संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1) और और केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I- 2.5% में,

- (i) क्रम संख्या 99क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"99ख	1905	एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके सैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों";

- (ii) क्रम संख्या 108 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"108क	2309	फिश सोल्युबल पेस्ट";

- (iii) क्रम संख्या 156क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"156ख	2619	लिंग-डोनाविट्ज (एलडी) स्लैग";

- (iv) क्रम संख्या 218क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"218कक	56050020	इमिटेशन ज़री धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है";

ख. अनुसूची II-6% में, क्र. सं. 137 के कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "(i) असली ज़री धागा (सोना) और चांदी का धागा कपड़ा धागे के साथ संयुक्त (ii) नकली ज़री धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है के अलावा, धातुयुक्त धागा, चाहे गिम्ड हो या नहीं, कपड़े का धागा, या पट्टी या शीर्ष 5404 या 5405 के समान, धागे, पट्टी या पाउडर के रूप में धातु के साथ संयुक्त या धातु से ढका हुआ" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ग. अनुसूची III - 9% में,

- (i) क्रम संख्या 16 के समक्ष कॉलम (3) में, शब्दों "टोस्टेड रोटी और इसी तरह के उत्पादों" के स्थान पर, "टोस्टेड ब्रेड और इसी तरह के उत्पादों, एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके सैंक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 28 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "लिंग्ज-डोनाविट्ज़ (एलडी) स्लैग के अलावा, लोहे या स्टील के विनिर्माण की प्रक्रिया में निर्मित स्लैग डॉस (दानेदार स्लैग के अलावा), स्केलिंग और अन्य अपशिष्ट स्लैग" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/133/2023- टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

**टिप्पण:** प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2023- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, जिसे सा.का.नि. 149(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

#### No. 09/2023-Union Territory Tax (Rate)

**G.S.R. 549(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

A. in Schedule I -2.5%,

- (i) after S. No. 99A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"99B.	1905	Un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion";

- (ii) after S. No. 108 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"108A.	2309	Fish soluble paste";



(iii) after S. No. 156A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"156B.	2619	Linz-Donawitz (LD) Slag";

(iv) after serial number 218A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"218AA.	56050020	Imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance";

B. in Schedule II-6%, against S. No. 137, for the entry in column (3), the entry "Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal, other than- (i) real zari thread (gold) and silver thread combined with textile thread (ii) imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance" shall be substituted;

C. in Schedule III-9%,

- (i) against S. No. 16, in column (3), for the words "toasted bread and similar toasted products", the words "toasted bread and similar toasted products, un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 28, for the entry in column (3), the entry "Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel, other than Linz-Donawitz (LD) slag" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on 27<sup>th</sup> July, 2023.

[F. No. 190354/133/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

**Note:** -The principal notification No.1/2017 - Union Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 03/2023 – Union Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> February, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 149(E), dated the 28<sup>th</sup> February, 2023.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

संख्या 10/2023- केंद्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 550(अ).**— केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 26/2018- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1263 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

- क. प्रारंभिक पैराग्राफ में, वाक्यांश "पैराग्राफ 4.41" के स्थान पर, वाक्यांश "पैराग्राफ 4.40" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ख. स्पष्टीकरण में, -

(i) खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(क) “विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 1/2023, द्वारा का.आ. 1565 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित “विदेश व्यापार नीति, 2023” से है।”

(ii) खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) “हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स” से अभिप्राय, प्रोसीजर्स वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023 के तहत दिनांक 1 अप्रैल, 2023 की फा.सं. 01/75/171/00016/एएम-23/एफटीपी सेल, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित “हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स” से है।”

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/133/2023- टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

**टिप्पण:** प्रधान अधिसूचना संख्या 26/2018- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को सा.का.नि. 1263 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2019- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2019, सा.का.नि. 718 (अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

#### No. 10/2023-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 550(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, on being satisfied that it is necessary in public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.26/2018-Central Tax (Rate), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1263 (E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018, namely: -

In the said notification, -

(A) in the opening paragraph, for the phrase “paragraph 4.41”, the phrase “paragraph 4.40”, shall be substituted;

(B) in the Explanation, -

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: —

“(a) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy, 2023, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* notification No. 1/2023 dated the 31<sup>st</sup> March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. 1565 (E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2023;”

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: —

“(b) “Handbook of Procedures” means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* Public Notice No. 01/2023 dated the 1<sup>st</sup> April,

2023, Extraordinary, Part-I, Section 1 vide F. No. 01/75/171/00016/AM-23/FTP Cell dated the 1<sup>st</sup> April, 2023;”

2. This notification shall come into force on the 27<sup>th</sup> July, 2023.

[F. No. 190354/133/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

**Note:** -The principal notification No. 26/2018 - Central Tax (Rate), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1263(E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018 and was last amended by notification No. 17/2019 - Central Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> September, 2019 vide published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 718(E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2019 .

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

संख्या 10/2023-एकीकृत कर (दर)

**सा.का.नि. 551(अ).—** एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1266 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, वाक्यांश “पैराग्राफ 4.41” के स्थान पर, वाक्यांश “पैराग्राफ 4.40” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण में, -

(i) खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(क) “विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 1/2023, द्वारा का.आ. 1565 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में “प्रकाशित विदेश व्यापार नीति, 2023” से है।”

(ii) खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) “हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स” से अभिप्राय, प्रोसीजर्स वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023 के तहत दिनांक 1 अप्रैल, 2023 की फा.सं. 01/75/171/00016/एएम-23/एफटीपी सेल, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित “हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स” से है।”

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/133/2023- टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

**टिप्पणः** प्रधान अधिसूचना संख्या 27/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को सा.का.नि. 1266 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2019, सा.का.नि. 719 (अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

#### No. 10/2023-Integrated Tax (Rate)

**G.S.R. 551(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, on being satisfied that it is necessary in public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.27/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1266 (E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018, namely: -

In the said notification, -

(A) in the opening paragraph, for the phrase “paragraph 4.41”, the phrase “paragraph 4.40”, shall be substituted;

(B) in the Explanation, -

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: —

“(a) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy, 2023, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* notification No. 1/2023 dated the 31<sup>st</sup> March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. 1565 (E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2023;”

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: —

“(b) “Handbook of Procedures” means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* Public Notice No. 01/2023 dated the 1<sup>st</sup> April, 2023, Extraordinary, Part-I, Section 1 *vide* F. No. 01/75/171/00016/AM-23/FTP Cell dated the 1<sup>st</sup> April, 2023;”

2. This notification shall come into force on the 27<sup>th</sup> July, 2023.

[F. No. 190354/133/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

**Note:** -The The principal notification No. 27/2018 - Integrated Tax (Rate), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1266(E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018 and was last amended by notification No. 17/2019 – Integrated Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> September, 2019 *vide* published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 719(E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2019 .

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

**संख्या 10/2023- संघ-राज्य क्षेत्र कर (दर)**

सा.का.नि. 552(अ).— संघ-राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 26/2018- संघ-राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1269 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, वाक्यांश "पैराग्राफ 4.41" के स्थान पर, वाक्यांश "पैराग्राफ 4.40" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण में, -

(i) खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 1/2023, द्वारा का.आ. 1565 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित "विदेश व्यापार नीति, 2023" से है।"

(ii) खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) "हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय, प्रोसीजर्स वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023 के तहत दिनांक 1 अप्रैल, 2023 की फा.सं. 01/75/171/00016/एएम-23/एफटीपी सेल, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित "हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स" से है।"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/133/2023- टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

**टिप्पण:** प्रधान अधिसूचना संख्या 26/2018-संघ-राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को सा.का.नि. 1269 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2019- संघ-राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2019, सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2023

**No. 10/2023-Union Territory Tax (Rate)**

**G.S.R. 552(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, on being satisfied that it is necessary in public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.26/2018-Union Territory Tax (Rate), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1269 (E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018, namely: -

In the said notification, -

(A) in the opening paragraph, for the phrase “paragraph 4.41”, the phrase “paragraph 4.40”, shall be substituted;

(B) in the Explanation, -

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: —

“(a) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy, 2023, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No. 1/2023 dated the 31<sup>st</sup> March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 1565 (E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2023;”

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: —

“(b) “Handbook of Procedures” means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide Public Notice No. 01/2023 dated the 1<sup>st</sup> April, 2023, Extraordinary, Part-I, Section 1 vide F. No. 01/75/171/00016/AM-23/FTP Cell dated the 1<sup>st</sup> April, 2023;”

2. This notification shall come into force on the 27<sup>th</sup> July, 2023.

[F. No. 190354/133/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

**Note:** -The principal notification No. 26/2018 – Union Territory Tax (Rate), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1269(E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2018 and was last amended by notification No. 17/2019 – Union Territory Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> September, 2019 vide published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 720(E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2019 .

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

**संख्या 3/2023-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)**

**सा.का.नि. 553(अ).**— माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15), की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,

I. अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ पान मसाला" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"1क.	2106 90 20	पान मसाला, उपरोक्त क्रम संख्या 1 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	60%";

(iii) क्रम संख्या 5 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा विक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(iv) क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5क.	2401	अनिर्मित तम्बाकू (बिना चूने की ट्यूब के) - एक ब्रांड नाम वाला, उपरोक्त क्रम संख्या 5 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	71%";

(v) क्रम संख्या 6 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा विक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(vi) क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"6क.	2401	अनिर्मित तम्बाकू (चूने की ट्यूब के साथ) - एक ब्रांड नाम वाला, उपरोक्त क्रम संख्या 6 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	65%";

(vii) क्रम संख्या 7 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, शब्द "ब्रांड नाम" के बाद, शब्द "घोषित खुदरा विक्री मूल्य के साथ" डाला जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"7क.	2401 30 00	किसी ब्रांड नाम वाला तंबाकू का कचरा, उपरोक्त क्रम संख्या 7 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	61%";

(ix) क्रमांक 19 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा विक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(x) क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"19क.	2403 11 10	'हुक्का' या 'गुडाकू' तम्बाकू, जिसका ब्रांड नाम हो, उपरोक्त क्रम संख्या 19 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	72%";

(xi) क्रम संख्या 20 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा विक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(xii) क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"20क.	2403 11 10	'हुक्का' या 'चिलम' पीने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तम्बाकू, जिसे आमतौर पर 'हुक्का' तम्बाकू या 'गुडाकू' के नाम से जाना जाता है, कोई ब्रांड नाम नहीं है, उपरोक्त क्रम संख्या 20 के तहत आने वाले सामान के अलावा	17%";

(xiii) क्रम संख्या 21 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(xiv) क्रम संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"21क.	2403 11 90	अन्य जल पाइप धूम्रपान तम्बाकू, जिस पर कोई ब्रांड नाम नहीं है, उपरोक्त क्रम संख्या 21 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	11%";

(xv) क्रम संख्या 22 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvi) क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"22क.	2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण, उपरोक्त क्रम संख्या 22 के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा	290%";

(xvii) क्रम संख्या 23 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(xviii) क्रम संख्या 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"23क.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान तम्बाकू जिसका ब्रांड नाम हो, उपरोक्त क्रम संख्या 23 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	49%";

(xix) क्रम संख्या 24 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(xx) क्रम संख्या 24ए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"24क.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान तम्बाकू, जिस पर कोई ब्रांड नाम नहीं है, उपरोक्त क्रम संख्या 24 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	11%



24ख.	2403 91 00	घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ एक ब्रांड नाम वाला "होमोजेनाइज्ड" या "पुनर्गठित" तंबाकू	0.36R प्रति यूनिट
24ग.	2403 91 00	"होमोजेनाइज्ड" या "पुनर्गठित" तंबाकू, एक ब्रांड नाम वाला, उपरोक्त क्रम संख्या 24ख के तहत आने वाले सामान के अलावा	72%";

(xxi) क्रम संख्या 26 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "चबाने वाला तंबाकू (चूने की ट्यूब के बिना), घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxii) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"26क.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूने की नली के बिना), उपरोक्त क्रम संख्या 26 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	160%";

(xxiii) क्रमांक 27 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "चबाने वाला तंबाकू (चूने की ट्यूब के साथ), घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxiv) क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"27क.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूने की नली के साथ), उपरोक्त क्रम संख्या 27 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	142%";

(xxv) क्रमांक 28 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "फ़िल्टर खैनी, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xxvi) क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"28क.	2403 99 10	फ़िल्टर खैनी, उपरोक्त क्रम संख्या 28 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	160%";

(xxvii) क्रमांक 29 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ चबाने वाले तम्बाकू युक्त तैयारी " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।;

(xxviii) क्रम संख्या 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"29क.	2403 99 20	चबाने वाले तम्बाकू युक्त तैयारी, उपरोक्त क्रम संख्या 29 के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा	72%";

(xxix) क्रम संख्या 30 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "जर्दा सुगंधित तंबाकू, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xxx) क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"30क.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तम्बाकू, उपरोक्त क्रम संख्या 30 के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा	160%";

(xxxix) क्रम संख्या 31 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "स्त्रफ़, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xxxixii) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"31क.	2403 99 40	स्त्रफ़, उपरोक्त क्रम संख्या 31 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	72%";

(xxxixiii) क्रम संख्या 32 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ स्त्रफ़ युक्त तैयारी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।;

(xxxixiv) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"32क.	2403 99 50	स्त्रफ़ युक्त तैयारी, उपरोक्त क्रम संख्या 32 के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा	72%";

(xxxixv) क्रम संख्या 33 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ तम्बाकू अर्क और सार" शब्द डाले जाएंगे;

(xxxixvi) क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"33क.	2403 99 60	तम्बाकू अर्क और सार, जिसका ब्रांड नाम है, उपरोक्त क्रम संख्या 33 के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा	72%";

(xxxixvii) क्रम संख्या 34 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(xxxixviii) क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"34क.	2403 99 60	तम्बाकू अर्क और सार, जिस पर कोई ब्रांड नाम नहीं है, उपरोक्त क्रम संख्या 34 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	65%";

(xxxixix) क्रम संख्या 35 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "तंबाकू कट, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"35क.	2403 99 70	तंबाकू कट, उपरोक्त क्रम संख्या 35 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा अन्य	20%";

(xlii) क्रम संख्या 36 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा', घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xliii) क्रम संख्या 36क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"36क.	2403 99 90	तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा', उपरोक्त क्रम संख्या 36 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	204%";

(xliv) क्रम संख्या 36ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"36ख.	2403 99 90	तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा' के अलावा सभी सामान, जिसका ब्रांड नाम हो, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ	0.43R प्रति यूनिट";

(xlv) क्रम संख्या 36घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"36ग.	2403 99 90	तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा' के अलावा सभी सामान, जिसका ब्रांड नाम है, उपरोक्त क्रम संख्या 36घ के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	96%
36घ.	2403 99 90	तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा' के अलावा सभी सामान, जिस पर कोई ब्रांड नाम नहीं है, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ	0.43R प्रति यूनिट
36ड.	2403 99 90	तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा' के अलावा सभी सामान, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है, उपरोक्त क्रम संख्या 36घ के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	89%";

(xlv) क्रम संख्या 52बी के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "मोटर वाहन जिन्हें यूटिलिटी वाहन के रूप में जाना जाता है, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिसमें स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी), मल्टी यूटिलिटी वाहन (एमयूवी), बहुउद्देश्यीय वाहन (एमपीवी) या क्रॉस-ओवर यूटिलिटी वाहन (एक्सयूवी) सम्मिलित हैं, जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो; लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो और ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिमी और उससे अधिक हो।

**स्पष्टीकरण:** इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ग्राउंड क्लियरेंस का अर्थ है भार-रहित स्थिति में ग्राउंड क्लियरेंस" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

II. स्पष्टीकरण में, खंड (4) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्: -

“(5) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उपरोक्त अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य" शब्द का अर्थ ऐसे सामानों की खुदरा बिक्री मूल्य होगा, जिसे कानूनी मेट्रोलाजी अधिनियम, 2009 (2010 का 1) या उसके तहत बनाए गए नियमों या फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुपालन में घोषित किया जाना आवश्यक है”;

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/133/2023- टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

**टिप्पण:** प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 2/2023-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 31 मार्च, 2023, सा.का.नि. 253 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

#### No. 3/2023-Compensation Cess (Rate)

**G.S.R. 553(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification,

I. in the Schedule, -

(i) against S. No. 1, for the entry in column (3), the entry “Pan Masala with declared retail sale price” shall be substituted;

(ii) after S. No. 1 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“1A.	2106 90 20	Pan Masala, other than goods covered under S. No. 1 above	60%”;

(iii) against S. No. 5, for the entry in column (3), after the words “brand name”, the words “with declared retail sale price” shall be inserted;

(iv) after S. No. 5 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“5A.	2401	Unmanufactured tobacco (without lime tube)– bearing a brand name, other than goods covered under S. No. 5 above	71%”;

(v) against S. No. 6, for the entry in column (3), after the words “brand name”, the words “with declared retail sale price” shall be inserted;

(vi) after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"6A.	2401	Unmanufactured tobacco (with lime tube)– bearing a brand name, other than goods covered under S. No. 6 above	65%";

(vii) against S. No. 7, for the entry in column (3), after the words "brand name", the words "with declared retail sale price" shall be inserted;

(viii) after S. No. 7 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"7A.	2401 30 00	Tobacco refuse, bearing a brand name, other than goods covered under S. No. 7 above	61%";

(ix) against S. No. 19, for the entry in column (3), after the words "brand name", the words "with declared retail sale price" shall be inserted;

(x) after S. No. 19 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"19A.	2403 11 10	'Hookah' or 'gudaku' tobacco, bearing a brand name, other than goods covered under S. No. 19 above	72%";

(xi) against S. No. 20, for the entry in column (3), after the words "brand name", the words "with declared retail sale price" shall be inserted;

(xii) after S. No. 20 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"20A.	2403 11 10	Tobacco used for smoking 'hookah' or 'chilam' commonly known as 'hookah' tobacco or 'gudaku', not bearing a brand name, other than goods covered under S. No. 20 above	17%";

(xiii) against S. No. 21, for the entry in column (3), after the words "brand name", the words "with declared retail sale price" shall be inserted;

(xiv) after S. No. 21 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"21A.	2403 11 90	Other water pipe smoking tobacco, not bearing a brand name, other than goods covered under S. No. 21 above	11%";

(xv) against S. No. 22, for the entry in column (3), the entry "Smoking mixtures for pipes and cigarettes, with declared retail sale price" shall be substituted;

(xvi) after S. No. 22 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"22A.	2403 19 10	Smoking mixtures for pipes and cigarettes, other than goods covered under S. No. 22 above	290%";

(xvii) against S. No. 23, for the entry in column (3), after the words "brand name", the words "with declared retail sale price" shall be inserted;

(xviii) after S. No. 23 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"23A.	2403 19 90	Other smoking tobacco bearing a brand name, other than goods covered under S. No. 23 above	49%";

(xix) against S. No. 24, for the entry in column (3), after the words "brand name", the words "with declared retail sale price" shall be inserted;

(xx) for S. No. 24A and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"24A.	2403 19 90	Other smoking tobacco, not bearing a brand name, other than goods covered under S. No. 24 above	11%
24B.	2403 91 00	"Homogenised" or "reconstituted" tobacco, bearing a brand name with declared retail sale price	0.36R per unit
24C.	2403 91 00	"Homogenised" or "reconstituted" tobacco, bearing a brand name, other goods covered under S. No. 24 B above	72%";

(xxi) against S. No. 26, for the entry in column (3), the entry “Chewing tobacco (without lime tube), with declared retail sale price” shall be substituted;

(xxii) after S. No. 26 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“26A.	2403 99 10	Chewing tobacco (without lime tube), other than goods covered under S. No. 26 above	160%”;

(xxiii) against S. No. 27, for the entry in column (3), the entry “Chewing tobacco (with lime tube), with declared retail sale price” shall be substituted;

(xxiv) after S. No. 27 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“27A.	2403 99 10	Chewing tobacco (with lime tube), other than goods covered under S. No. 27 above	142%”;

(xxv) against S. No. 28, for the entry in column (3), the entry “Filter khaini, with declared retail sale price” shall be substituted;

(xxvi) after S. No. 28 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“28A.	2403 99 10	Filter khaini, other than goods covered under S. No. 28 above	160%”;

(xxvii) against S. No. 29, for the entry in column (3), the entry “Preparations containing chewing tobacco, with declared retail sale price” shall be substituted;

(xxviii) after S. No. 29 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“29A.	2403 99 20	Preparations containing chewing tobacco, other than goods covered under S. No. 29 above	72%”;

(xxix) against S. No. 30, for the entry in column (3), the entry “Jarda scented tobacco, with declared retail sale price” shall be substituted;

(xxx) after S. No. 30 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“30A.	2403 99 30	Jarda scented tobacco, other than goods covered under S. No. 30 above	160%”;

(xxxi) against S. No. 31, for the entry in column (3), the entry “Snuff, with declared retail sale price” shall be substituted;

(xxxii) after S. No. 31 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“31A.	2403 99 40	Snuff, other than goods covered under S. No. 31 above	72%”;

(xxxiii) against S. No. 32, for the entry in column (3), the entry “Preparations containing snuff, with declared retail sale price” shall be substituted;

(xxxiv) after S. No. 32 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“32A.	2403 99 50	Preparations containing snuff, other than goods covered under S. No. 32 above	72%”;

(xxxv) against S. No. 33, for the entry in column (3), after the words “brand name”, the words “with declared retail sale price” shall be inserted;

(xxxvi) after S. No. 33 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“33A.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence, bearing a brand name, other than good covered under S. No. 33 above	72%”;

(xxxvii) against S. No. 34, for the entry in column (3), after the words “brand name”, the words “with declared retail sale price” shall be inserted;

(xxxviii) after S. No. 34 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"34A.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence, not bearing a brand name, other than goods covered under S. No. 34 above	65%";

(xxxix) against S. No. 35, for the entry in column (3), the entry "Cut tobacco, with declared retail sale price" shall be substituted;

(xl) after S. No. 35 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"35A.	2403 99 70	Cut tobacco, other than goods covered under S. No. 35 above	20%";

(xli) against S. No. 36, for the entry in column (3), the entry "Pan masala containing tobacco 'Gutkha', with declared retail sale price" shall be substituted;

(xlii) for S. No. 36A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"36A.	2403 99 90	Pan masala containing tobacco 'Gutkha', other than goods covered under S. No. 36 above	204%";

(xliii) for S. No. 36B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"36B.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', bearing a brand name, with declared retail sale price	0.43R per unit";

(xliv) after S. No. 36B and the entries relating the, the following S. Nos. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"36C.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', bearing a brand name, other than good covered under S. No. 36B above	96%
36D.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', not bearing a brand name, with declared retail sale price	0.43R per unit
36E.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', not bearing a brand name, other than goods covered under S. No. 36D above	89%";

(xlv) against S. No. 52B, in column (3), for the entry, the entry "Motor vehicles known as Utility Vehicles, by whatever name called including Sports Utility Vehicles (SUV), Multi Utility Vehicles (MUV), Multi-purpose vehicles (MPV) or Cross-Over Utility Vehicles (XUV), with engine capacity exceeding 1500 cc ; Length exceeding 4000 mm and Ground Clearance of 170 mm and above.

*Explanation:* For the purpose of this entry, the Ground Clearance means ground clearance in unladen condition." shall be substituted;

II. In the Explanation, after clause (4), following clause shall be inserted, namely: -

"(5) For the purposes of this notification, the words "declared retail sale price", with respect to the goods specified in column (3) of the Schedule above, shall mean the retail sale price of such goods which are required to be declared in compliance with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) or the rules made thereunder or under any other law for the time being in force";

2. This notification shall come into force on 27<sup>th</sup> July, 2023.

[F. No. 190354/133/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

**Note:** -The principal notification No.1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28<sup>th</sup> day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 720(E), dated the 28<sup>th</sup> day of June, 2017, and was last amended vide notification No. 2/2023-Compensation Cess (Rate), dated the 31<sup>st</sup> March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 253(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2023.